सं.17(3)/2011-ई.II (क)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 5 सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली सरकारी सोसाइटियों/स्वायत्त निकायों की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखों का सदन के पटल पर रखा जाना- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रावधानों का पुन: उल्लेख।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 (3) (iv) के अनुसार, स्वायत्त संगठनों की वार्षिक रिपोर्टें और परीक्षित लेखा विवरण संसद के पटल पर रखा जाना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 (1) में यह प्रावधान है कि आवर्ती अनुदानों के संबंध में संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को पिछले वित्त वर्ष के अनुदानों के संबंध में अनंतिम आधार पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के लिए संस्वीकृत कोई राशि जारी करनी चाहिए। उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के लिए संस्वीकृत कुल राशि के 75 प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान तभी जारी किया जाएगा जब पिछले वर्ष में जारी की गई सहायता अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र और वार्षिक परीक्षित विवरण प्रस्तुत कर दिए गए हों और संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उन्हें संतोषजनक पाया गया हो।

2. राज्य सभा समिति (सीओपीएलओटी) द्वारा सन 1976 में स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। सीओपीएलओटी की 1976 की पहली रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन महीने की अवधि में अपने लेखे पूरे कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेखों की लेखापरीक्षा तथा अनुवाद और मुद्रित रिपोर्टों के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई हों, के उत्तर देने का कार्य अगले छ: महीनों में पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि रिपोर्टें और परीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 महीनों में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएं। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा समय-सारणी तैयार की गई है जिसे स्वायत्त निकायों के लेखा परीक्षा के निर्देश मैनुअल में शामिल किया गया है और जो अनुबंध-I के रूप में संलग्न है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने संघ सरकार (सिविल) स्वायत्त निकायों के संबंध में वर्ष 2010 की अपनी रिपोर्ट संख्या 38 में स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में विलंब पर टिप्पणी की है।

3. राज्य सभा के पटल पर दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने से संबंधित समिति ने टिप्पणी की है कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सरकारी सोसाइटियों/स्वायत्त निकायों की वार्षिक रिपोर्टों और परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने में लगातार विलंब होता रहा है।

4. सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के उपर्युक्त प्रावधान पुन: दोहराए जाते हैं तथा सभी मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि इनका ईमानदारी से पालन किया

जाए। मंत्रालय/विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए जाएं तथा नियत समयसीमा में परीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

आर. प्रेम आनंद

(आर. प्रेम आनंद)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सभी सचिव, मंत्रालय/विभाग।
2. सभी वित्त सलाहकार, मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि:

महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली। - अनुरोध है कि लेखा परीक्षा के लिए सरकारी सोसाइटियों और स्वायत्त निकायों के लेखे निर्धारित समय सीमा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किए जाने तथा सरकारी सोसाइटियों और स्वायत्त निकायों की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखे सदन के पटल पर रखे जाने पर निगरानी रखने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ के माध्यम से उचित प्रणाली तैयार की जाए।

''सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली सरकारी सोसाइटियों/स्वायत्त निकायों की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखों का सदन के पटल पर रखा जाना- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रावधानों का पुन: उल्लेख'' के संबंध में 5 सितम्बर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 17(3)/2011-ई.II (क) का अनुबंध I

क्रम संख्या	कार्य	तारीख जिस तक कार्य पूरा किया जाना है
1.	स्वायत्त निकाय द्वारा अनुमोदित एवं अधिप्रमाणित वार्षिक लेखे संबंधित लेखा परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना तथा वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख।	30 जून
2.	स्वायत्त निकाय के मुख्य कार्यपालक को पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा जारी करना।	31 अगस्त
3.	प्रबंधन से पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे के उत्तर प्राप्त करना। (पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा जारी करने की तारीख से दो सप्ताह)	14 सितम्बर
4.	स्वायत्त निकाय के उत्तर शामिल करके अथवा शामिल किए बगैर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा अनुमोदन के लिए मुख्यालय को भेजना।	21 सितम्बर
5.	मुख्यालय द्वारा अनुमोदित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना। (मुख्यालय से पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह)	21 अक्तूबर
6.	लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी पाठ में अंतिम पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित स्वायत्त निकाय/सरकार को जारी करना।	31 अक्तूबर
7.	अंतिम पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का हिंदी रुपांतर, जहां यह कार्य महालेखाकार/प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक द्वारा स्वयं किया जाता है, अंतिम पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ मुख्यालय को जारी करना ।	15 नवंबर